रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082024-256005 CG-DL-E-02082024-256005

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2954]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 2, 2024/ श्रावण 11, 1946

No. 2954]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 2, 2024/ SHRAVANA 11, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2024

का.आ. 3096(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है कि ऐल्युमिना और एल्युमिनियम के विनिर्माण तथा बाक्साइट के उत्खनन में लगे उद्योगों की सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की क्रमशः मद 30 और मद 31, के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित की जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त उद्योगों को ,भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 422(अ), तारीख 2 फ़रवरी, 2024 द्वारा तारीख 4 फ़रवरी, 2024 से छह मास तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अंतिम बार लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योगों की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति को छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना का.आ.422(अ), तारीख 2 फरवरी, 2024 में निर्दिष्ट अविध को 4 अगस्त, 2024 से छह महीने की और अविध के लिए बढ़ाती है, जिसके दौरान उक्त उद्योगों में लगी सेवाएं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा होंगी।

[फा. सं .एस.-11017/03/2024-आईआर(पीएल] दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

4825 GI/2024 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2024

S.O. 3096(E).—WHERAS the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services of industries engaged in Manufacturing of Alumina and Aluminium and Mining of Bauxite, which are covered under items 30 and 31, respectively, of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industrial undertaking to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 4^{th} February, 2024, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 422(E), dated the 2^{nd} February, 2024;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for afurther period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub- clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of1947), the Central Government hereby extends the period specified in the notification number S.O.422(E), dated the 2nd February, 2024 for a further period of six month from the 4th August, 2024 during which the services engaged in thesaid industries to be a public utility service for the purposes of the said Act.

[F. No. S-11017/03/2024 -IR (PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.